न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्याः–171 / 2025

श्रीमती नेहा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड़
–आवेदक

बनाम

1. श्री रामनिवास यादव पुत्र श्री मांगूराम यादव, उम्र 55 वर्ष, (विक्रेता) निवासी निवासी–खोहरी, बानसूर, कोटपूतली–बहरोड़, मैसर्स– प्रिंस माया पनीर भंडार खोहरी, बानसूर जिला, कोटपूतली–बहरोड़।
2. श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री मांगूराम यादव उम्र 43 वर्ष (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता) निवासी–खोहरी, बानसूर, कोटपूतली–बहरोड़, मैसर्स प्रिंस मावा पनीर भंडार खोहरी, बानसूर जिला, कोटपूतली–बहरोड़।

– अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii), / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक: 29/5/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.04.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 28 जून 2024 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 05 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, राज० जयपुर के आदेश क्रमांक 102 / 15.01.2025 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है एवं कोटपूतली–बहरोड जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11 / 04 / 2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 22.04.2025 को सुबह 11:30 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जॉच दल के साथ मैसर्स– प्रिंस मावा पनीर भंडार, खोहरी, बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित दुकान पर पहुँची। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री रामनिवास यादव पुत्र श्री मांगूराम

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

यादव स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री राकेश एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री रामनिवास यादव पुत्र श्री मांगूराम यादव, उम्र 55 वर्ष निवासी–खोहरी, बानसूर, जिला–कोटपूतली बहरोड़ का होना बताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य कारोबार का विक्रेता होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नं0 22222045001206 होना पाया गया।

3. यह है कि उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान दुकान पर रखे करीब 10 किलो Paneer आमजन को बिक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री राकेश एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा की उपस्थिति में विक्रेता श्री रामनिवास यादव पुत्र श्री मांगूराम यादव को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त Paneer में से 1 किलो Paneer वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील के भगौने में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 280/– (अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलो Paneer को हिला मिलाकर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

   लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. AS–52 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. वि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त Paneer के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 28 दिनांक 19.05.2025 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डीओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 128 12/8/25 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) Paneer की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2)(ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को रजिस्डर्ड नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया गया। बाद सूचना के अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश किया तथा प्रकरण में साक्ष्य ना कराकर निस्तारण करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण को बहस हेतु नियत कर अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।
12. अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि खाद्य पदार्थ पनीर में किसी भी प्रकार की बाहरी मिलावट नही की गई है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में पनीर को केवल अवमानक पाया गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या मिलावट खाद्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। अभियुक्त ने बताया कि दूध से पनीर बनाने की प्रक्रिया के दौरान दूध को फाड़ने के लिए खटाई या अन्य वैध तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण जॉच में सबस्टेन्डर्ड आ जाता है जो कि मानव शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। अंत में अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई अपराध नही किया है। अप्रार्थीगण ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए स्वयं को एक गरीब व्यक्ति बताया है और निवेदन किया है कि उस पर भारी जुर्माना लगाने से उसके

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

परिवार पर गंभीर व प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अतः न्याय हित में उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थीगण के प्रकरण को फैसल फरमाया जावें।

13. पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पनीर में मिलावट का शक होने पर 1 किलो Paneer वास्ते जाँच नमुना लिया जाकर राज्य केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयुपर राजस्थान को भिजवाने पर उनके द्वारा अपनी जाँच रिपार्ट से उक्त खाद्य पदार्थ Paneer अवमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि वह दूध से पनीर बनाने की प्रक्रिया के दौरान दूध को फाड़ने के लिए खटाई या अन्य वैध तत्वों का उपयोग करता है, जिसके कारण जॉच रिपोर्ट में सबस्टेन्डर्ड आ गया है लेकिन इस के कारण शरीर पर कोई घातक प्रभाव सामने नही आया है। पनीर की गुणवता में कमी सिर्फ दूध को फाडने में उपयोग में ली गई वस्तु के कारण हुई हैं। अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये है इस प्रकार अप्रार्थी के केवल जुबानी कथनों के आधार पर पर्याप्त वजह दस्तावेजी रिकॉर्ड के अभाव में प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है। अप्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि दूध को फाडने के लिए खटाई या अन्य वैध तत्वों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण नमूने की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ आया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता को अवमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय, भंडारण या वितरण से पूरी तरह प्रतिबंधित करती है अतः अभियुक्त का यह कहना की अवमानक खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार के कानूनी दायित्व से मुक्त नहीं करता क्योंकि अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुसार ही शुद्ध खाद्य पदार्थ बेचना/निर्माण करना अनिवार्य है। अधिनियम के अनुसार, प्रतिष्ठान का मालिक और मौके पर मौजूद विक्रेता दोनों ही इस अवमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 26(2)(ii) के उल्लंघन का दोषी पाते हुए धारा 51 के तहत अभियुक्त श्री रामनिवास यादव (विक्रेता) एवं श्री अशोक कुमार यादव (मालिक) निवासी–खोहरी, बानसूर, कोटपूतली–बहरोड़, मैसर्स प्रिंस मावा पनीर भंडार खोहरी, बानसूर जिला, कोटपूतली–बहरोड़ पर 5000/- रुपये शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
एवं
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली–बहरोड़